मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 7139/22/आर.जी.एम./वि–9/97 भोपाल, दिनांक 30.04.97

आदेश क्रमांक – 14

तकनीकी परिपत्रा : दो/97–98/जलग्रहण क्षेत्रा विकास

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, शहडोल, बालाघाट एवं सिवनी।
2. कार्यपालक निदेशक, जिला रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, शहडोल, बालाघाट एवं सिवनी।

विषय : खरीफ सीजन में धान क्षेत्राों में सूखे के प्रभाव को कम करने की रणनीति।

जलग्रहण क्षेत्रा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी प्रवृत्ति के कार्यों को सम्पादित करने हेतु तकनीकी मार्गदर्शन हेतु यह पहला परिपत्रा है। इस परिपत्रा में दिये गये निर्देश सुझावात्मक हैं तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इसमें फेरबदल संभव है। कृपया इस परिपत्रा को कार्यालय कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड, जनपद पंचायत कार्यालय तथा जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों में व्यापक रूप से प्रसारित करें तथा इसकी एक प्रति सभी कार्यालयों की गार्ड नस्ती में रखें।

जलग्रहण क्षेत्रा विकास के घोषित विभिन्न उद्देश्यों में एक उद्देश्य सूखे के प्रभाव को कम करना है। चयनित मिलीवाटरशेड के उपचारित क्षेत्राों (माइक्रोवाटरशेड) में मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों के साथ–साथ सूखे के प्रभाव को कम करने के प्रयासों को प्रारंभ करने की आवश्यकता है। ये प्रयास समूह गतिविधि के रूप में उपयोगकर्ता दलों द्वारा प्रस्तावित किये जावेंगे तथा वाटरशेड कमेटी/उपयोगकर्ता दल द्वारा निर्मित होंगे।

1.0 पृष्ठभूमि :

खरीफ सीजन में धान की असिंचित फसल पर सूखे का सर्वाधिक खतरा सितम्बर एवं अक्टूबर माह में रहता है क्योंकि इस अवधि में गिरने वाले पानी की मात्राा कम हो जाती है तथा बिना वर्षा के दिवस./अवधि ;क्तलैचमससद्ध बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में असिंचित धान की फसल की उत्पादकता घटने या फसल के सूखने का अंदेशा होता है।

धान के असिंचित रकबे पर सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए पानी के प्रबंध के साथ–साथ मिट्टी में नमी सहेजकर रखने वाले गुणों के विकास की आवश्यकता है। इस संबंध में मिशन के पत्रा क्र. 4594/22/वि–9/आर. जी.एम./103/97 दिनांक 6.3.97 द्वारा निर्देश पूर्व में दिये जा चुके हैं।

2.0 सूखे के प्रभाव को कम करने की रणनीति :

2.1 असिंचित क्षेत्रों में जल उपलब्धि – जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन की विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत मृदा संरक्षण तथा जल संग्रह (सतह एवं भूजल) संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। जल संग्रह संरचनाओं में एकत्रिात जल का उपयोग संरचना के निकटवर्ती खेतों में धान की फसल को सूखे से बचाने के लिये, उपयोगकर्ता दल के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिये। संरचना से प्राप्त होने वाले लाभों को समूह के सदस्यों द्वारा आम सहमति से सदस्य के बीच वितरित करना चाहिये।

2.2 शेष असिंचित भूमि पर सुरक्षात्मक सिंचाई प्रबंध के लिये उपयोगकर्ता समूह ;ेनमत ळतवनचद्ध द्वारा निम्न संरचनाओं का निर्माण कराया जा सकता है :

अ. निजी खेतों में डबरी

ब. साझा अथवा निजी भूमि पर डबरा

2.2.1 निजी खेतों में डबरी :– यह अत्यन्त छोटी संरचना है। इसका आकार छोटे कुएं के समान होगा। इसकी गहराई 2 मीटर से अधिक तथा डायमीटर 1.0 से 1.5 मीटर रखा जा सकता है। यह संरचना कृषक के खेत में वाटरशेड कमेटी/भूमि स्वामी द्वारा निर्मित करायी जावेगी। इस संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिये स्थानीय तकनीक का उपयोग अर्थात बिना पक्की जुड़ाई के पत्थरों को जमाकर किया जा सकता है। डबरी से पानी निकालने की व्यवस्था भूस्वामी द्वारा स्वतः की जावेगी। डबरी का स्थल चयन तथा निर्माण मुख्यतः लघु तथा सीमांत कृषकों द्वारा स्वतः करना चाहिये।

2.2.2 साझा अथवा निजी भूमि पर डबरा :– यह संरचना डबरी की तुलना में बड़ी (बड़े कुएं के समान या आयताकार) होती है। इसका आयतन करीब 100 क्यूबिक मीटर से थोड़ा अधिक रखा जाना चाहिये ताकि डबरे में एकत्रिात पानी का उपयोग सुरक्षात्मक सिंचाई के लिये एक से अधिक कृषकों द्वारा किया जा सके। डबरे का निर्माण शासकीय अथवा निजी भूमि पर किया जा सकता है। निजी भूमि पर डबरे का निर्माण करने की स्थिति में वाटरशेड कमेटी का दायित्व होगा कि वह डबरे के पानी के एक समान बंटवारे के संबंध में उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के बीच सहमति प्राप्त करें। सहमति प्राप्ति के उपरांत ही उपयोगकर्ता दल के लिये साझा डबरे का निर्माण कराया जाना चाहिये। डबरे से पानी निकालने की व्यवस्था उपयोगकर्ता दल के सदस्यों द्वारा स्वतः की जावेगी। डबरी निर्माण हेतु उपयोग में लाई गई निजी भूमि हेतु किसी प्रकार की क्षति पूर्ति देय नहीं होगी।

3.0 डबरी एवं डबरा निर्माण का तकनीकी पक्ष

खरीफ के मौसम मे धान के खेत के पानी से भरे रहने के कारण खेत की जमीन के नीचे का स्ट्राटा (मुख्यतः मिट्टी) भूजल से संतृप्त ;जनतंजमकद्ध रहता है। सितम्बर–अक्टूबर माह में वर्षा की कमी अथवा अवर्षा ;क्तल ैचमससद्ध के कारण मिट्टी की ऊपरी परत, जिससे धान की जड़े पानी ग्रहण करती हैं, नमी विहीन होने लगती है परन्तु इस गहराई के नीचे का स्ट्राटा (मुख्यतः मिट्टी) भूजल से संतृप्त रहता है तथा उसे धान की फसल को सूखे से बचाने के लिये उपयोग में लाया जा सकता है तथा

अधिकांश असिंचित धान को सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्ध कराई जा सकती है।

डबरी अथवा डबरे की गहराई, धान की फसल को अंतिम पानी देने वाली अवधि (अक्टूबर माह) के आधार पर निर्धारित की जावेगी, अर्थात इस अवधि में संरचना में न्यूनतम जल स्तंभ ँजमत ब्वसनउदद्ध दो मीटर से कम नहीं होना चाहिये।

4.0 वित्तीय व्यवस्था :

ये संरचनायें उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के लिये निर्मित की जावेगी।

4.1 डबरी निर्माण के लिये वित्तीय सीमा :–

डबरी निर्माण के लिये उपयोगकर्ता दल के प्रत्येक सदस्य को उसकी डबरी के लिये अधिकतम रुपये 750/– (रु. सात सौ पचास) प्राप्त करने की पात्राता होगी। इससे अधिक व्यय की दशा में उपयोगकर्ता दल के सदस्य द्वारा अतिरिक्त व्यय स्वतः वहन किया जावेगा।

4.2 डबरा निर्माण के लिये वित्तीय सीमा :–

डबरा निर्माण के लिये वित्तीय सीमा उपयोगकर्ता दल के सदस्यों की संख्या के अनुरूप प्रति सदस्य

अधिकतम रु. 750/– (रु. सात सौ पचास) होगी। प्रावधान से अधिक हुआ व्यय उपयोगकर्ता दल के सदस्यों द्वारा वहन किया जावेगा।

5.0 संरचना निर्माण के लिये योगदान :

उपरोक्त संरचनाओं के निर्माण के लिये उपयोगकर्ता दल के सदस्यों अथवा एकल उपयोगकर्ता द्वारा भारत शासन द्वारा निर्धारित योगदान दिया जाना अनिवार्य है। योगदान की न्यूनतम सीमा निम्नानुसार है :

5.1 निजी भूमि पर निजी गतिविधि के लिए न्यूनतम योगदान

निजी भूमि पर निर्मित निजी डबरी के लिये निर्माण लागत की निर्धारित वित्तीय सीमा (पैरा 4. 1) का न्यूनतम पांच प्रतिशत श्रम, नगद अथवा सामग्री के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्य द्वारा दिया जावेगा। शेष वर्गों के लिये न्यूनतम योगदान दस प्रतिशत हैं।

5.2 निजी भूमि पर साझा गतिविधि के लिये न्यूनतम योगदान

निजी भूमि पर साझा गतिविधि के अंतर्गत निर्मित डबरे के लिये उपयोगकर्ता दल द्वारा लागत की

निर्धारित वित्तीय सीमा (पैरा–4.2) का न्यूनतम पांच प्रतिशत योगदान दिया जावेगा। उपयोगकर्ता दल के सदस्य द्वारा देय व्यक्तिगत योगदान के अनुपात में उसे डबरे से पानी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

5.3 साझा भूमि पर साझा गतिविधि के लिये न्यूनतम योगदान

साझा भूमि पर साझा गतिविधि के अंतर्गत निर्मित डबरे के लिये उपयोगकर्ता दल द्वारा लागत की

निर्धारित वित्तीय सीमा (पैरा 4.2) का न्यूनतम पांच प्रतिशत योगदान दिया जावेगा। उपयोगकर्ता दल के सदस्य द्वारा देय व्यक्तिगत योगदान के अनुपात में उसे डबरे से पानी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

6.0 संरचना की डिजाइन एवं लागत :

उपरोक्त संरचनाओं की डिजाइन एवं लागत परियोजना अधिकारी जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित कराई जावेगी। अनुमोदित डिजाइन के अनुसार संरचना निर्माण का दायित्व वाटरशेड कमेटी/उपयोगकर्ता दल के सदस्य का होगा।